न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री जे.पी. बैरवा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या :585/2016

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
1. चम्पालाल पुत्र मोहन		1. नारायण पुत्र गणेश
2. जोधराज पुत्र मोहन		जाति-चौकीदार, निवासी-रास
3. सायरी बेवा मोहन		2. तहसीलदार, जैतारण
जातियान-चौकीदार,निवासी-रास		तहसील-जैतारण, जिला-पाली
तहसील-जैतारण, जिला-पाली		

राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्ग धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955,

तारीख रजू:.28/12/2016

उपस्थितः. 1. श्री नितेश चौहान, अधिवक्ता, वादीगण।

2. श्री किशोर कुमार सोलंकी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::-

दिनॉकः- 29/01/2018

वकील गय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्ग धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध वादी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि राजस्व मौजा रास प्रथम पटवार हल्का रारा प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास प्रथम तहसील जैतारण जिला पाली राज0 मे वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या एक की सामलाती कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1/2 रकबा 16 बीघा 08 बिस्वा ख0 1/4 रकबा 6 बीघा 02 बिस्वा खसरा नम्बर 623 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा कुल खसरा तीन कुल रकबा 26 बीघा 02 बिस्वा कृषि भूमि आई हुई है। जिसमे वादीगण के मृतक पिता मोहन पुत्र गणेश के देहान्त के बाद बतौर हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम के तहत वादीगण का नाम उसके विधिक वारिसानो मे दर्ज किया जाकर उसका फौतेदगी म्युटेशन पारित किया जाना है वादीगण की वृक्षावली है, गणेश फौत के वारिसान मोहन फौत, नारायण, भेरिया (नाऔलाद फौत), मोहन फोत के वारिसान चम्पालाल, जोधराज, सायरी उपरोक्त वंश वृक्षावलीनुसार वादीगण मृतक मोहन के विधिक वारिसान है तथा उक्त सम्पति पैतृक पुश्तैनी सम्पति है तथा वादीगण अपने पिता के समय से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। उक्त आराजी मे वादीगण के पिता का 1/2 वां हिस्सा था उनके अनुसार वादीगण का भी 1/2 वां हक हिस्सा आता है। नकल जमाबन्दी साथ पेश है। विवादित कृषि भूमि के वक्त सैटलमेन्ट से लेकर आज दिन तक रेकर्डेड खातेदार काश्तकार वादीगण के दादा गणेश तथा उनके फौत होने पर उनके पुत्र मोहन व नारायण भेरिया रहे तथा माफिक हिन्दू उतराधिकारी अधिनियम की धारा 8 के तहत वादीगण का नाम जरिये फौतेदगी नामान्तरण के उनके विधिक वारिसानो मे दर्ज किया जाकर नामान्तरण किया जाना चाहिए था लेकिन तत्कालीन हल्का पटवारी वादीगण के पिता मोहन के देहान्त होने कई बार वादीगण द्वारा जरिये फौतेदगी म्युटैशन करने का निवेदन किया लेकिन उक्त आराजी मे वादीगण के नाम

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

का नामान्तरण नही किया तथा भेरिया पुत्र गणेश नाऔलाद फौत हो जाने से उक्त आराजी मात्र वादीगण व पतिवादी संख्या एक के नाम राजस्व रेकर्ड मे दर्ज किया जाना था तथा वादीगण व प्रतिवादी संख्या एक उपरोक्त वंश वृक्षावली अनुसार गणेश के विधिक वारिसानो मे होने से भेरिया के नाऔलाद फोत होने से वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या एक के नाम नामान्तरण किया जावे एवं वादीगण के पिता मोहन फोत हो जाने से उनके फौतेदगी नामान्तरण करवाने एवं उनके वारिसानो के नाम की एवं हक अधिकारो की घोषणा करवाने के वादीगण अधिकारी होने से एवं अपने नाम का राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज कराने के अधिकारी होने एवं खातेदारी एवं नामान्तरण की घोषणा के अधिकारी होने से यह वादपत्र बाबत घोषणा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के श्रीमान के समक्ष सादर पेश है। विवादित आराजी वादीगण के पिता मोहन की होने से एवं उनके फौत होने पर वादीगण के नाम नामान्तरण नहीं होने से एवं भेरिया नाऔलाद फौत होने से वादीगण को अनेक प्रकार की परेशानियो का सामना करना पड रहा है तथा उक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादी की संयुक्त हिन्दू परिवार की सामलाती भूमि है जिस पर वादीगण का बाई बर्थ कानूनी हक अधिकार प्राप्त है। लेकिन राजस्व रेकर्ड मे वादीगण के नाम का नामान्तरण नहीं होने की वजह से प्रतिवादी संख्या एक उक्त आराजी को जरिये रहन बैचान बक्सीस अन्य हस्तारन्तरण रने को भी आमादा है तथा वादीगण को उसकी पैतृक पुस्तैनी कृषि भूमि से बेदखल कर वंचित करना चाहता है तथा तथा दिनांक 10/12/16 को प्रतिवादी संख्या एक ने वादीगण को ऐलानिया कथन किया कि तुम्हारा नाम उक्त आराजी मे नहीं है तथा अव तुम्हे 1/2 हिस्से पर काश्त नही करने देगे प्रतिवादी विधिक प्रावधानो के विपरित जाकर वादीगण को बेदखल करने एवं नुकसान पहुचाने को आमादा है अगर प्रतवादी संख्या एक ऐसा करने मे सफल हो जाता है तो वादीगण को हमेशा हमेशा के लिए अपनी पैतृक पुश्तैनी सम्पति से महरूम होना पडेगा जिससे वादीगण को अपूर्णिय क्षति होगी तथा वादीगण प्रतिवादी संख्या एक को ऐसा हरगिज नही करने देगा जिससे मौके पर विवाद बडेगाा मल्टी प्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिग्स होगी ऐसी विषम परिस्थितियो मे वादीगण के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहींरहने से यह वादपत्र बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण के सादर पेश है। प्रतिवादी संख्या एक सहखातेदार हिस्सेदार होने से उन्हे पक्षकार बनाया गया है तथा प्रतिवादी संख्या दो तहसीलदार साहब, जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि होने से उन्हे आवश्यक पक्षकार बनाया गया है जिनके के विरूद्ध वादमत्र करने से पूर्व 2 माह का विधिक नोटिस दिया जाना आवश्यक है परन्तु वाद अति आवश्यक प्रकृति का होने से नोटिस देने मे समय लगेगा तब तक वादीगण का वाद करने का मकसद ही विफल हो जायेगाा इसलिए नोटिस दिया जाना डिस्पेन्सविथ किया जाकर बाद अनुमति वादमत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। अनुमति बाबत प्रार्थनापत्र धारा 80(2)सीपीसी का अलग से वादपत्र के साथ पेश है। बिनाय दावा दिनांक 10/12/16 को वादीगण को प्रतिवादी संख्या एक द्वारा एलानिया कथन करने एवं उन्हे काश्त करने से रोकने तथा बेदखल करने की धमकी देने पर पटवारी हल्का से मिलने तथा अपने नाम का नामान्तरण करने का निवेदन करने पर बमुकाम रास पटवार हल्का रास प्रथम तहसील जैतारण जिला पाली राज0 मे उत्पन्न हुआ जो श्रीमान के क्षेत्राधिकार एवं

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

श्रवणाधिकार मे है। वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 01 को जवाब दावा पेश करने का अनेक अवसर दिया जाने के बावजुद पेश नही करने से जवाब दावा बन्द किया जाता हैं। बहस वकुलाय सुनी गई। पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया गया। बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं। डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि राजस्व मौजा रास प्रथम पटवार हल्का रास प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रास प्रथम तहसील जैतारण जिला पाली राज0 मे वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या एक की सामलाती कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 1/2 रकबा 16 बीघा 08 बिस्वा ख0 1/4 रकबा 6 बीघा 02 बिस्वा खसरा नम्बर 623 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा कुल खसरा तीन कुल रकबा 26 बीघा 02 बिस्वा आराजी में वादीगण को मोहन के हिस्से में खातेदार काश्तकार घोषित किया जाते हैं। शेष अनुतोष में विधिक वारिसान की जांच कर नामान्तरकरण दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया जावें। डिक्री पर्चा की प्रति तहसीलदार, जैतारण को भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 29/01/2018 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला.पाली (राज0)